

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प0 11(1)मंमं/99

जयपुर, दिनांक: 30.7.2010


आज्ञा

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 6.1.2000 के क्रम में राज्य में गठित विभिन्न आयोगों के अध्यक्षगण जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया हुआ है, को देय सुविधाओं में संशोधन करते हुए दिनांक 1.4.2010 से निम्न प्रकार से वेतन एवं अन्य राजकीय सुविधायें दिये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. वेतन 22,000/- रुपये (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा है)
20,000/- रुपये (जिन्हें राज्यमंत्री स्तर का दर्जा है)
2. एक वाहन जयपुर एवं जयपुर से बाहर राजकीय दौरे के उपयोग हेतु ।
3. चिकित्सा सुविधा मंत्री/राज्यमंत्री को देय निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के अनुसार ।
4. यात्रा भत्ता मंत्री/राज्यमंत्री को देय (ए क्लास अधिकारी के अनुसार) यात्रा भत्ता ।
5. दैनिक भत्ता राजकीय कार्य हेतु:-
(क) राज्य में 700/- रुपये प्रति दिन
180 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक)
(ख) राज्य से बाहर 800/-रुपये प्रति दिन
100 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक)
(उक्त दोनों यात्रायें वर्ष में 180 दिवस तक सीमित रहेंगी)
6. टेलीफोन एक निःशुल्क राजकीय टेलीफोन कार्यालय के उपयोग हेतु एक राजकीय टेलीफोन निवास हेतु जिसकी सीमा निम्न प्रकार होगी:-
मंत्री स्तर हेतु 20,000/- काल्स प्रति दो माह में
राज्यमंत्री स्तर हेतु 17,000 काल्स प्रति दो माह में
माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण को देय सुविधा अनुसार सुविधा देय होगी ।
7. ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था

माननीय मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण को प्रदत्त वेतन भत्तों एवं अन्य सुविधाओं में से उक्त सात सुविधाओं में जब-जब वृद्धि होगी, तदनुसार यह आदेश संशोधित किया जायेगा ।

यह स्वीकृति वित्त(नियम) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. संख्या 101001913 दिनांक 30.06.2010 के अनुसरण में जारी की जाती है ।


(एम0डी0 मीणा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपाल, राज., जयपुर ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री ।

4. समस्त सम्बन्धित प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवालय ।
5. सचिव, मुख्यमंत्री ।
6. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, जयपुर ।
7. निजी सचिव, आयुक्त, निःशक्तजन ।
8. निजी सचिव, अध्यक्ष, क्रीडा परिषद, जयपुर ।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज. ।
10. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
11. लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग ।
12. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
13. उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2,3 एवं 5) विभाग ।
14. कन्ट्रोलर, राज. स्टेट मोटर गैराज, जयपुर ।
15. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव